



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-31072025-265136
CG-WB-E-31072025-265136

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3448]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2025/श्रावण 8, 1947

No. 3448]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2025/SHRAVANA 8, 1947

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

आदेश

कोलकाता, 16 जून, 2025

का.आ. 3532(अ).—पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 6 और 5 के खंड 2016(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20.05.को जारी समसंख्यक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मैं 2025, मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त, एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि आप अपने स्वयं के खाते में औरया तीसरे पक्ष के खाते में / -:कच्चे जूट का स्टॉक नीचे दी गई तालिका के अनुसार काम करेंगे

	कच्चे जूट व्यापारी/डीलर/एजेंसियां/स्टॉकिस्ट/मिलों की श्रेणी	कच्चे जूट की अधिकतम मात्रा रखी जाएगी
(क)	(ख)	(ग)
1	बेलर जिनके पास एक ही परिसर में कच्चा जूट बेलिंग प्रेस है	500क्विंटल
2	कच्चे जूट के अन्य सभी श्रेणियों के व्यापारी/डीलर/एजेंसी /स्टॉकिस्ट	100क्विंटल
3	जिन्होंने इस कार्यालय आदेश दिनांक 05.03.2024के अनुसरण में दिनांक 15.07.2024 के भीतर इस कार्यालय में पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है।	500किलोग्राम
4	जूट मिलें/कच्चे जूट से जूट वस्तुएं बनाने वाली निर्माण इकाईयाँ	चालू उत्पादन दर के अनुसार 45 दिनों की खपत

2. मैं आगे निदेश देता हूँ कि अगर यह धारित किए जा रहे कॉलम (बी) में उल्लिखित कच्चे जूट व्यापारियों की श्रेणी के अनुरूप कॉलम (सी) में उल्लिखित मात्रा से अधिक होती है तो इस आदेश की तारीख से 30 जून, 2025 के भीतर कच्चे जूट की अतिरिक्त मात्रा को बेच देंगे और 04 जुलाई, 2025 के भीतर परेषिती (कन्साइनी) को उक्त मात्रा की डिलीवरी वास्तविक रूप से करेंगे तथा उसके तुरंत बाद ईमेल (jcoffice@jutecomm.gov.in) द्वारा सत्यापन के लिए समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ कच्चे जूट की अधिक मात्रा की बिक्री/डिलीवरी का उल्लेख करते हुए एक अनुपालन रिपोर्ट भेजेंगे। अगर आपके पास उपर्युक्त सीमा से ज्यादा स्टॉक है, तो नए स्टॉक की खरीद तुरंत रोक दें जब तक कि स्टॉक उल्लिखित सीमा से नीचे ना आ जाए।
3. एक परिसर में स्टॉक किए गए कच्चे जूट को, चाहे ऐसे व्यापारियों/स्टॉकिस्टों के नाम भिन्न भिन्न क्यों न हो, इस आदेश की व्याख्या के प्रयोजनार्थ एक ही स्टॉक माना जाएगा, ऐसे अपवाद को छोड़कर जब उक्त जूट को एक वाणिज्यिक गोदाम में स्टॉक किया जाता हो और व्यापारी/स्टॉकिस्ट पृथक व्यापार लाइसेंस, पृथक पैन, पटसन आयुक्त के कार्यालय के साथ अलग पंजीकरण और गोदाम किराए के लिए अलग किराया अनुबंध/रसीद सभी एक साथ और सामूहिक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम हों।
4. यदि आप इस आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर पाते हैं तो आप पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 11 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत दंडनीय होंगे, जिसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और किसी भी समय इसे संशोधित करने के अधिकार के तहत अगले आदेश तक वैध माना जाएगा।
6. मैं यह भी अनुदेश देता हूँ कि कच्चा जूट से जूट वस्तुएं बनाने वाले जूट मिल/उत्पादन इकाईयों पर स्टॉक सीमा के संबंध में आयातित जूट को इस आदेश से छूट देने के मामले को, निर्यात प्रतिबद्धता या निजी बाजार में बिक्री दर्शाने वाले संगत दस्तावेज के साथ अभ्यावेदन प्राप्त होने पर मामले- दर-मामले आधार पर विचार किया जाएगा।
7. मैं आगे यह भी निर्देश देता हूँ कि यह आदेश भारतीय जूट निगम द्वारा खरीदे गए कच्चे जूट के स्टॉक पर लागू नहीं होगा।
8. इसके अलावा, उपर्युक्त आदेश के खंड 9(1) के उप-खंड (बी) और (सी) के अनुसरण में, मैं राज्य पुलिस अधिकारियों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों को परिसरों सहित गोदामों में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए तथा इस आदेश के जवाब में उनके द्वारा रखे गए स्टॉक को सही ढंग से घोषित किया गया है या नहीं, यह सत्यापित करने के लिए उनके कब्जे के अधीन उनके बहियों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण करने तथा पूर्व में जारी किए गए और फिलहाल प्रभावी किसी भी अन्य आदेश के अनुपालन की जांच करने एवं कच्चे जूट को जव्त करने का जिसके बारे में उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे इस आदेश या जारी किए गए और फिलहाल प्रभावी किसी भी अन्य आदेश के उल्लंघन में संग्रहित किया गया है तथा पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत अन्य कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए, मैं सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का निदेश देता हूँ।

[फा. सं. जूट(टी)-6/1/178/जीएन(22)/2019-1(ई)]

मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

ORDER

Kolkata, the 16th June, 2025

S.O. 3532(E).—In partial modification of the Order of even number dated 20-05-2025 issued by the undersigned in exercise of the powers vested under Clause 6(1) (iii) & Clause 5 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016, I, Moloy Chandan Chakraborty, Jute Commissioner, hereby direct that you shall reduce the stocks of raw jute on your own account and /or on account of third parties mentioned in the table below:

	Category of raw jute traders/ dealers/agencies/stokists/Mills	Maximum quantity of raw jute to be held
(a)	(b)	(c)
1	Balers who are having raw jute Baling Press in the same premises	500 Quintals
2	All other categories of traders/dealers/agencies/stockist of raw jute	100 Quintals

3	Those who have not applied to this office for registration in pursuance of this office Order dated 05-03-2024 within 15-07-2024	500 Kilograms
4	Jute Mills / Manufacturing units of Jute Goods from raw jute	45 days' consumption as per current production rate

2. I further direct that you to sell the quantity of raw jute if it is in excess of the quantity mentioned in column (c) corresponding to the category of raw jute traders mentioned at column (b) being held by you within 30th June 2025 from the date of this Order and physically deliver the same to the consignee within 4th July 2025 and to send a compliance report indicating sale / delivery of the excess quantity of raw jute along with supporting documentary evidence for verification by email (jcoffice@jutecomm.gov.in) immediately. If you are holding stock excess to the above limit, purchase of fresh stock shall be stopped forthwith till stock comes below the above mentioned limit.

3. Raw jute stocked in a single premise irrespective of in different names of such traders/stockists etc. will be considered as total single stock for the purpose of interpretation of this Order except when such jute is stocked in a Commercial godown and such traders/stockists are able to produce separate trade license, separate PAN, separate registration with JC office and also separate rent agreement/receipt for godown rent all together and collectively.

4. If you fail to comply with the provisions of this Order, you shall be punishable under clause 11 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 read with Section 7 of the Essential Commodities Act, 1955 which provides for imprisonment and fine.

5. This Order shall come into force with immediate effect and remain valid till further orders subject to reservation of right to modify the same at any point of time.

6. I further state that for the stock limit on Jute Mills/Manufacturing units of jute goods from raw jute, exemption of imported jute from this order will be considered on a case-to-case basis after receipt of representation supported by relevant documents showing export commitments or sale in private markets.

7. I further state that this Order shall not be applicable to stocks of raw jute procured by The Jute Corporation of India Ltd.

8. Further, in pursuance of sub-clause (b) and (c) of clause 9(1) of the aforesaid Order, I direct to afford necessary facilities to my authorized representatives state Police officials to enter and search their premises including the godowns and also to inspect their books and other records under their possession with a view to verifying whether or not stocks held by them have been correctly declared or not in response to this Order & also to seize raw jute which he/she has reason to believe to have been stored in contravention to this order & to take any other legal action within provisions of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 & Essential Commodities Act, 1955.

[F. No. Jute(T)-6/1/178/GN(22)/2019-I(E)]

MOLOY CHANDAN CHAKRABORTTY, Jute Commissioner